

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

93/2020

एमएस : 2020/00209

वेदप्रकाश पुत्र श्री राम कुमार जाति बिश्नोई साकिन 7 एन पी ए हाल वार्ड नं. 1
शारत्री कॉलोनी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।
-:वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 7एन पी ए तहसील रायसिंहनगर
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 7 एन पी ए तहसील रायसिंहनगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता वादी
श्री जितेन्द्र सोनी अधिवक्ता प्रतिवादी
प्रतिवादीगण एक पक्षीय

-: निर्णय :-

दिनांक : 23.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि उक्त प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2022 की पालना में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक /भू.अ. /24/2710 दिनांक 13.06.2024 को भूमि विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से प्राप्त हुये है कि :-वादी वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई के हिस्सा में:- वाके चक 7 एन पी ए के प.न. 152/314 मु.न. 17 के कि.न. 5/1 के.228 , 5/2 के 0.025 , 6/1 के 0.228 , 6/2 के 0.025 कुल 0.506 है. नहरी मय खाला। प्रतिवादी सं. 1-2 सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार , सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार के हिस्सा में :- वाके चक 7 एन पी ए के के प.न. 152/314 मु.न. 17 के कि.न. 3-4-7-8 कुल 1.012 है.नहरी भूमि। बाकी अंकन बदस्तूर। उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्बन्धित पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। किसी भी पक्षकारान के अधिवक्ता ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.06.2024 के अनुसार वादी का वाद-पत्र डिक्री किये जाना न्यायोचित है।
2. उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद-पत्र तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.06.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है कि जो निम्न प्रकार से है कि:- वादी वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई के हिस्सा में:- वाके चक 7 एन पी ए के प.न. 152/314 मु.न. 17 के कि.न. 5/1 के .228 , 5/2 के 0.025 , 6/1 के 0.228 , 6/2 के 0.025 कुल 0.506 है. नहरी मय खाला।
3. प्रतिवादी सं. 1-2 सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार , सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार के हिस्सा में :- वाके चक 7 एन पी ए के के प.न. 152/314 मु.न. 17 के कि.न. 3-4-7-8 कुल 1.012 है.नहरी भूमि। बाकी अंकन बदस्तूर। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल -दरामद किया जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

